

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013  
प्रेषक,

पटना, दिनांक -

प्रत्यय अमृत,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय: स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत परियोजना "Full Scale electrification of village in 11 districts (RGGVY)" के लिए 2013-14 में भारत सरकार से विमुक्त राशि 125.50 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ पचास लाख) रुपये के विरुद्ध शेष राशि 50.00 (पचास) लाख रुपये में से 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये वित्तीय 2017-18 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-494 दिनांक-19.02.2018 के आलोक में स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत परियोजना "Full Scale electrification of village in 11 districts (RGGVY)" के लिए 2013-14 में भारत सरकार से विमुक्त राशि 125.50 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ पचास लाख) रुपये के विरुद्ध शेष राशि 50.00 (पचास) लाख रुपये में से 25.00 (पच्चीस) लाख रुपये वित्तीय 2017-18 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0-10 उपशीर्ष-0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0 (राज्य घटक)- (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए) की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900210 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
12500000000.00	93600000000.00	2500000.00	9362500000.00	3137500000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

कृ0पृ0उ0

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या-32942305391 आई०एफ०एस०सी० कोड SBIN0000153 में R.T.G.S के द्वारा की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/  
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक .....

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में) ऊर्जा विभाग, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 22/02/2018

सरकार के प्रधान सचिव।